

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI

W.P.(C) No. 1722 of 2026

Ranjeet Kumar Choudhary

..... **Petitioner(s)**

Vrs.

The State of Jharkhand & Others

..... **Respondent(s)**

.....

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE RAJESH KUMAR

For the Petitioner(s)

: Mr. Navin Kr. Singh, Advocate

For the Resp. No.4

: Mr. Sumeet Gadodia, Advocate

Mrs. Shilpi Sandil Gadodia, Advocate

Ms. Sanya Kumari, Advocate

Ms. Nidhi Lall, Advocate

04/13.03.2026 Rule 5 of the Nagarpalika Nirvachan 2026, Abhyarthiyon Ke

liye Mardarshika (नगरपालिका निर्वाचन 2026, अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका (जहाँ

मतपेटिकाओं से मतदान होगा) is quoted hereunder:

5. यदि मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो निर्वाचन प्रत्यादिष्ट (काउन्टरमैन्ड) नहीं किया जाएगा, सिवाय उस दशा में जबकि ऐसी मृत्यु के फलस्वरूप निर्वाचन में केवल एक अभ्यर्थी शेष रह जाए। निर्वाचन प्रत्यादिष्ट किए जाने पर निर्वाचन की समस्त कार्रवाई नये सिरे से उसी प्रकार प्रारंभ की जाएगी जैसे कि वह नये निर्वाचन के लिए की जाती है।

2. Rule 43 and 48 of the Jharkhand Municipal Election and Election Petition Rules, 2012(झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 is quoted hereunder:

Rule 43 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाना -

(1) निर्वाची पदाधिकारी ऐसी कालावधि, जिसके भीतर नियम 42 के अधीन अभ्यर्थिता वापस ली जा सकी हो, के समाप्त होने के ठीक बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र 9 में तैयार कर अपने कार्यालय में प्रकाशित करेगा और उसकी प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को भेजेगा।

(2) उप नियम (1) में प्रकाशित की गई सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम देवनागरी लिपि में वर्ण क्रमानुसार नाम पता सहित अंतर्विष्ट होगा।

Rule 48 मतदान का प्रत्यादिष्ट होना

यदि नियम-43 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में से किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और मतदान प्रारंभ होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त हो जाती है तब उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य

का समाधान हो जाने पर, निर्वाची पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन के मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और उस तथ्य की सूचना आयोग को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के माध्यम से देगा। आयोग से निदेश प्राप्त होने पर निर्वाचन की प्रक्रिया नये सिरे से प्रारंभ की जाएगी।

2. There is contradiction between the handbook and the rule.
3. Learned counsel for the respondent -Election Commission is directed to come prepared in the matter.
4. Put up this case on 16.03.2026.

(Rajesh Kumar, J.)

13.03.2026
A. Mohanty
Uploaded
____/____/2026